कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओड़िशा: भुवनेश्वर-751001

Office of the Principal Accountant General (A&E), Odisha, Bhubaneswar-751001

का.आ.सं/रा.भा.अ./जांच बिन्दु/43/2023-24/ 02 दिनांक: 12.04.2023

कार्यालय आदेश

विषय: राजभाषा विभाग के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु जांच बिन्दुओं की स्थापना ।

राजभाषा अधिनियम 1963 और उसके अधीन बनाए गए राजभाषा नियम 1976 में केंद्रीय सरकार के कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए किए गए विभिन्न उपबंधों तथा संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम के आधार पर राजभाषा नीति को कार्यान्वित करते हुए हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा नियम 12 के अनुसार प्रधान महालेखाकार के अनुमोदन से निम्नलिखित जांच बिन्दुओं की स्थापना की जाती है:

क्र.सं.	कार्य का मद	जांच बिन्दु/ अनुपालन का उत्तरदायित्व
1.	धारा-3(3) का अनुपालन	ऐसे अधिकारी, जो राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले किसी कागजात (सामान्य आदेश- जिसमें कार्यालय आदेश, परिपत्र, ज्ञापन, सूचना शामिल हैं, संकल्प, अधिसूचना, नियम, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन, संविदा, करार, निविदा सूचना, निविदा प्रारूप, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा-पत्र शामिल हैं) पर हस्ताक्षर करेंगे वे अधिकारी ही जांच बिन्दु का कार्य करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि जारी किए जाने वाले कागजात अनिवार्य रूप से द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी में) जारी हो रहे हैं।
2.	राजभाषा नियम 1976, नियम-5 का अनुपालन	ऐसे अधिकारी, जिनसे हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर देना अपेक्षित है, वे ही जांच बिन्दु का कार्य करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिए जाएं।
3.	नियम-11 का अनुपालन- कोडों (संहिताएं), मैनुअलों, फॉर्मों और गज़ट की सामग्री का द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) प्रकाशन	संबंधित शाखा अधिकारी जांच बिन्दु का कार्य करेंगे। ऐसे दस्तावेज़ों के अनुवाद कार्य हेतु केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो को अधिकृत किया गया है। इसलिए इसे समय पर उपलब्ध करवाया जाना चाहिए ताकि सामग्री का द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) प्रकाशन सुनिश्चित किया जा सके।
4.	नागरिक चार्टर, जन सूचना बोर्ड, नामपट्ट, विजिटिंग कार्ड, रजिस्टर, रबड़ की मोहरें, सीलें, कार्यालय में प्रयोग होने वाले लिफाफे, लोगो, वाहनों पर कार्यालय का विवरण, बैज-बिल्ले आदि शत-प्रतिशत द्विभाषी रूप में जारी करना	इन सभी सामग्री को द्विभाषी रूप में जारी करने के लिए संबंधित सहायक लेखा अधिकारी/शाखा अधिकारी जांच बिन्दु का कार्य करेंगे।
5.	हिंदी पुस्तकों की खरीद	शाखा अधिकारी (रिकार्ड) जांच बिन्दु का कार्य करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि पुस्तकों की खरीद (जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर) पर खर्च की जाने वाली कुल राशि का 50% हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च की जा रही है।

		अधिकांश कम्प्यूटर युनिकोड समर्थित हैं। अतः इनके इन्स्टालेशन आदेश जारी करने वाले अधिकारी सुनिश्चित करेंगे उन उपकरणों में हिंदी फॉन्ट सक्रिय किए गए हैं।
13.	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भाग लेना	तत्संबंधी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु हिंदी अधिकारी जांच बिन्दु का कार्य करेंगे ताकि बैठक में कार्यालय प्रमुख/नामित अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।
14.	हिंदी डिक्टेशन	निजी सहायक/निजी सचिव/वरिष्ठ निजी सचिव रखे हुए उच्च अधिकारीगण जांच बिन्दु का कार्य करेंगे।
15.	परीक्षा व प्रशिक्षण	संबंधित शाखा अधिकारी जांच बिन्दु का कार्य करेंगे और इन कार्यों में हिंदी व अंग्रेजी माध्यम की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
16.	प्रतिवेदनों (रिपोर्ट-रिटर्न्स)/संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली से संबंधित सूचना हिंदी कक्ष को उपलब्ध करवाना	संबंधित अनुभाग के शाखा अधिकारी जांच बिन्दु का कार्य करेंगे।
17.	हिंदी कार्यशाला/हिंदी संगोष्ठी/हिन्दी सम्मेलन/ हिंदी दिवस/पखवाड़ा आदि का आयोजन	कार्यालय अध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख की अनुमति से इसे सुनिश्चित करने हेतु हिंदी अधिकारी जांच बिन्दु का कार्य करेंगे।
18.	राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें/ प्रशासनिक बैठकें तथा कार्यवृत्त	कार्यालय अध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख की अनुमति से इसे सुनिश्चित करने हेतु हिंदी अधिकारी जांच बिन्दु का कार्य करेंगे।
19.	गृह पत्रिका का प्रकाशन	कार्यालय अध्यक्ष/प्रमुख की अनुमति से इसे सुनिश्चित करने हेतु हिंदी अधिकारी जांच बिन्दु का कार्य करेंगे।
20.	राजभाषा प्रोत्साहन योजना	कार्यालय अध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख की अनुमति से इसे सुनिश्चित करने हेतु हिंदी अधिकारी जांच बिन्दु का कार्य करेंगे।
21.	कार्यालय अध्यक्ष/वरिष्ठतम अधिकारी की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही समीक्षा के आधार पर अनुभागों का निरीक्षण तथा हिंदी में सम्पूर्ण कार्य करने के लिए अनुभागों/प्रकोष्ठों को विनिर्दिष्ट किया जाना	कार्यालय अध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख की अनुमति से इसे सुनिश्चित करने हेतु हिंदी अधिकारी जांच बिन्दु का कार्य करेंगे।
22.	हिंदी में कार्य करने के लिए कार्यालय को अधिसूचित किया जाना और 8(4) का आदेश जारी करना	कार्यालय अध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख की अनुमति से इसे सुनिश्चित करने हेतु हिंदी अधिकारी जांच बिन्दु का कार्य करेंगे।
23.	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियां {मुख्यालय निर्देश/प्रश्नावली}	सेवा पुस्तिका में हिन्दी में प्रविष्टियां दर्ज करने के लिए संबंधित अनुभाग के सहायक लेखा अधिकारी/ शाखा अधिकारी ही जांच बिन्दु का कार्य करेंगे।
24.	वेबसाइट का द्विभाषीकरण	ईडीपी कम्प्यूटर प्रभारी तथा शाखा अधिकारी जांच बिन्दु का कार्य करेंगे।